

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 83

Imphal,

Wednesday,

June 14, 2017

(Jyaistha 24, 1939)

MANIPUR LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Imphal, the 14th June, 2017

No. 3/4(1)/2017-LA(Legn.): Notification No. 479/2017, dated 14th June, 2017 of the Election Commission of India is hereby republished for general information.

By order etc.

M. Ramani Devi,

Assistant Returning Officer
for the Presidential Election, 2017
(Secretary, Manipur Legislative Assembly)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

Dated the 14th June, 2017 24 Jyaistha, 1939 (Saka)

NOTIFICATION

No. 479/2017: - Whereas, the term of office of Shri Pranab Mukherjee, President of India, is due to expire, in terms of clause (1) of Article 56 of the Constitution, on the 24th Day of July, 2017; and

Whereas, an election is due to be held, in terms of clause (1) of Article 62 of the Constitution, to fill the vacancy to be caused by the expiration of the term of office of the incumbent President before the expiration of term of his office; and

Whereas, under sub-section (3) of Section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India is required to so appoint the dates for the election to fill the vacancy in the office of the President of India that the election will be completed at such time as will enable the President thereby elected to enter upon his office on the 25th Day of July, 2017;

Now, therefore, the Election Commission of India hereby -

- (A) calls upon the Electoral College, referred to in Article 54 of the Constitution, to elect a person to fill the above vacancy in the Office of President of India before the expiration of the term of the incumbent President, in accordance with the provisions of the Constitution, the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), and the Rules and Orders made thereunder; and
 - (B) in pursuance of sub-section (1) of Section 4 of the said Act, appoints -
 - a) the 28th June, 2017 (Wednesday), as the last date for making nominations;
 - b) the 29th June, 2017 (Thursday), as the date for scrutiny of the nominations;
 - c) the 1st July, 2017 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures; and
 - d) the 17th July, 2017 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken.

By Order,

(R K SRIVASTAVA) Sr. PRINCIPAL SECRETARY

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001

दिनांक: 14 जून, 2017 24 ज्येष्ठ, 1939 (शक)

अधिस्चना

संख्या 479/2017:-यत: भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की पदावधि की समाप्ति संविधान के अनुच्छेद 56 के खण्ड (I) के अनुसार तारीख 24 जुलाई, 2017 को होने वाली है; और

यत: संविधान के अनुच्छेद 62 के खण्ड (1) के अनुसार, उनकी पदावधि समाप्त होने से पूर्व पदधारी राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित है; और

यत: राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन के लिए तारीख इस तरह नियत की जानी अपेक्षित है कि यह निर्वाचन समय के अन्दर पूरा हो जाए ताकि इस प्रकार निर्वाचित राष्ट्रपति अपना पदभार वर्ष 2017 की जुलाई के पच्चीसवें दिन को ग्रहण कर सके।

अतः अब,भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वाराः-

24 lyaisths, 1939 (Saka)

(R K SRIVASTAVA)

- अ) संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट निर्वाचक मंडल से यह अपेक्षा करता है कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) और तदधीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, वर्तमान राष्ट्रपतिकी अविध खत्म होने से पूर्वभारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिएएक व्यक्ति निर्वाचित कर दें; और
- आ) उक्त अधिनियम् की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में निम्नलिखित निर्धारित करता है:

(क) नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तारीख : 28 जून, 2017 (बुधवार)

(ख) नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तारीख : 29 जून, 2017 (गुरुवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख : 01 जुलाई, 2017 (शनिवार)

्ष (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान होगा २०६ ा १०६ ०१७ । जुलाई,

आदेश से,

(आर. के. श्रीवास्तव) (वरिष्ठ प्रधान सचिव)